न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोंक

(पीठासीन अधिकारीः नित्या के0, आई.ए.एस.)

वाद(प्रार्थनापत्र) संख्या – 39/2019

प्रविष्टि दिनांक – 24.05.2019

उनवान

1. मोहम्मद इस्लाम पुत्र इस्माईल खां जाति मुसलमान पिंजारा नि0 ग्राम सोनावा, टोंक तहसील व जिला टोंक
2. इमामुददीनपुत्र इस्माईल खां जाति मुसलमान पिंजारा नि0 ग्राम सोनावा, टोंक तहसील व जिला टोंक
3. इकरामुददीन पुत्र इस्माईल खां जाति मुसलमान पिंजारा नि0 ग्राम सोनावा, टोंक तहसील व जिला टोंक
4. गफुरी पत्नि इस्माईल खां जाति मुसलमान पिंजारा नि0 ग्राम सोनावा, टोंक तहसील व जिला टोंक
5. मुन्नी उर्फ शहजारी पुत्री इस्माईल खां जाति मुसलमान पिंजारा नि0 ग्राम सोनावा, टोंक तहसील व जिला टोंक
6. शमीम बानो पुत्री इस्माईल खां जाति मुसलमान पिंजारा नि0 ग्राम सोनावा, टोंक तहसील व जिला टोंक

–आवेदक/वादी

बनाम

तहसीलदार टोंक

विपक्षी

उपस्थित– श्री शेख मो0 अब्दुल्ला – वकील वादीगण

श्री अर्जुनलाल मीणा– पैरोकार सरकार

निर्णय

आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा–136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

दिनांक : 29/01/2021

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि भूमि खसरा नम्बर 206/1 रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम मोहम्मदनगर, पटवार हल्का अरनियामाल, तहसील व जिला टोंक (राज0) में स्थित है। जो मुताबिक रिकार्ड आवेदकगण की खातेदारी में है। जिसमें वादिया सं. 4 गफूरी बैवा इस्माईल के स्थान पर गफूरी पुत्रीइस्माईल एंव वादिया सं. 6 शमीम पुत्री इस्माईल के स्थान पर शमीम पुत्री इस्माईल अंकित हो गया जबकि वास्तविक गफुरी पत्नि एंव शमीम पुत्री है। इस प्रकार वादीगण 4 व 6 की वल्दीयत गलत अंकित हो गयी है। अतः प्रा0 पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रा0पत्र0 स्वीकार फरमाया जाकर आवेदक की उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादिया सं. 4 गफूरी बैवा इस्माईल के स्थान पर गफूरी पुत्रीइस्माईल एंव वादिया सं. 6 शमीम पुत्री इस्माईल के स्थान पर शमीम पुत्री इस्माईल अंकित करवाया जाकर दुरूस्ती फरमायी जाये।

आवेदिका ने अपने आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों को साबित करने के लिये दस्तावेजात–नकल निर्णय व डिक्री एसडीओ दिनांक 06.06.2007, नकल निर्णय व डिक्री आरएए दिनांक 15.04त्र.2008, नकल नामांतकरण संख्या–223, आधारकार्ड, आदि पेश किये।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिपक्षी तहसीलदार को तलब किया गया। प्रतिपक्षी संख्या–1 तहसीलदार से जवाब तलब किया गया। पैराकार सरकार ने तहसीलदार की ओर से इकबालिया जवाब पेश कर निवेदन किया कि राजस्व रिकार्ड में वादिया सं. 4 गफूरी बैवा इस्माईल के स्थान पर गफूरी पुत्रीइस्माईल एंव वादिया सं. 6 शमीम पुत्री इस्माईल के स्थान पर शमीम पुत्री इस्माईल अंकित हो गया है जो लिपिकीय त्रुटि से अंकित हो गया है। उक्त लिपिकीय त्रुटि को सही किया जकर बल्दियत में संशोधन किया जाना उचित है।

वकील पक्षकारान की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपरिथत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादिया सं. 4 गफूरी बैवा इस्माईल के स्थान पर गफूरी पुत्रीइस्माईल एंव वादिया सं. 6 शमीम पुत्री इस्माईल के स्थान पर शमीम पुत्री इस्माईल अंकित है एंव न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी टोंक के निर्णय की पालना में खोले गये नामांतकरण में उक्त त्रुटि हुयी है जो लिपीकीय त्रुटि होने से स्वीकार योग्य है। तहसीलदार टोंक ने भी अपने जवाब में उक्त त्रुटि स्वीकार की है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि से संबंधित राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में सहवन से वादिया सं. 4 गफूरी बैवा इस्माईल के स्थान पर गफूरी पुत्री इस्माईल एंव वादिया सं. 6 शमीम पुत्री इस्माईल के स्थान पर शमीम पुत्री इस्माईल अंकित हो गया है जो लिपीकीय त्रुटि होने से दुरूस्ति योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136 एलआरएक्ट स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि आराजी ख0नं0 206/1 रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम मोहम्मदनगर, पटवार हल्का अरनियामाल तहसील व जिला टोंक में वादिया सं. 4 गफूरी बैवा इस्माईल के स्थान पर गफूरी पुत्री इस्माईल एंव वादिया सं. 6 शमीम पुत्री इस्माईल के स्थान पर शमीम पुत्री इस्माईल खां किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। तहसीलदार टोंक को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर राजस्व रिकार्ड की दुरूस्ति करावें।

यह निर्णय आज दिनांक 29/01/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(नित्या के0)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, टोंक